

एन०पी०वी० की गणना

(ईको क्लास वनस्पतिक घनत्व के अनुसार)

राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना जिला-चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित 0.60375 संरक्षित वन भूमि एवं 4.10208 हे० आरक्षित वन भूमि कुल 4.70583 हे० वन भूमि की भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या-5=3/2011- एफ०सी० (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन०पी०वी० गणना -

प्रभावित संरक्षित वन भूमि = 0.60375 हे०

एन०पी०वी० ईको खुले वन क्षेत्र में क्लास III के अनुसार दर 957780.00 रु० प्रति हे०

प्रभावित संरक्षित वन भूमि की एन०पी०वी० धनराशि = 0.60375×957780.00
= 578259.675 रु०

अर्थात् = 578260.00 रु०

(पांच लाख अठहत्तर हजार दो सौ साठ रु० मात्र)

प्रभावित आरक्षित वन भूमि = 4.10208 हे०

एन०पी०वी० ईको घने वन क्षेत्र में क्लास III के अनुसार दर 1228590.00 रु० प्रति हे०

प्रभावित आरक्षित वन भूमि की एन०पी०वी० धनराशि = $4.10208 \times 1228590.00$
= 5039774.4672 रु०

अर्थात् = 5039775.00 रु०

(पचास लाख उन्तालिस हजार सात सौ पचहत्तर रु० मात्र)

एन०पी०वी० की कुल धनराशि मु० 5618035.00 रु० (छप्पन लाख अठारह हजार पैंतीस रु० मात्र)


प्रभागीय वनधिकारी
A चित्रकूट